राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2776/2024

गायत्री शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झालावाड़।
4. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा संस्था एवं ट्रेनिंग झालावाड़।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर।
6. उप कोशागार अधिकारी, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.09.2024
आदेश की दिनांक : 05.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सागर मल चौहान, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को 30 जून के वार्षिक ग्रेड वेतन पर वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि तत्काल पूर्ववर्ती सेवा अर्थात 30 जून को पूर्ण एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर प्रदान की जानी चाहिए। अपीलार्थी लाइब्रेरियन के पद पर रहते हुए दिनांक 30.06.2021 से सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। इसके बाद अपीलार्थी को पीपीओ आदेश जारी किया गया। (अनुलग्नक–1) यद्यपि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई निर्धारित की जाती है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सरकारी कर्मचारियों को तत्काल पूर्ववर्ती एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है। इस मामले के मद्देनजर, यद्यपि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने पर वे वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के हकदार हैं, जो दिनांक 01.07.2021 को देय है और इस कारण से अपीलार्थी वेतन पर

पेंशन लाभ पाने का हकदार हैं। बढ़ी हुई वेतन वृद्धि मामला पी. अय्यम्परूमल बनाम रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 15732/2017), जिसमें तमिलनाडु राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, उसके सरकार के सचिव, वित्त विभाग और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। वी.एन. एम. बालासुब्रमण्यम ने सीडीजे 2012 एमसी 6025 में रिपोर्ट की रिट याचिका को 15.9.2017 के आदेश के तहत अनुमति दी गई, जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी को सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि वेतन वृद्धि की तारीख उसकी सेवानिवृत्ति की अगली तारीख को पड़ती है। तदनुसार उन्हें पेंशन लाभ के उद्देश्य से दिनांक 1.7.2012 से 30.6. 2013 तक की अवधि के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया, क्योंकि उन्होंने सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा कर लिया। पी. अय्यम्परुमल (सुप्रा) के मामले में दिनांक 15.9.2017 के आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23.7.2018 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, बशर्ते कि वह सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक वर्ष की सेवा पूरी कर ले। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिनमें अनुरोध किया गया कि उन्हें वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि भी प्रदान की जाए और तदनुसार पेंशन और अन्य लाभ बढ़ाए जाएं, लेकिन ये लाभ निष्फल रहे और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह जवाब दिया गया कि वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए हर साल 1 जुलाई की तारीख निर्धारित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। राजस्थान सेवा नियमों में भी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए पूरे एक साल की सेवा की गणना की जाती है। हालाँकि मामले के उपरोक्त पहलू को नजरअंदाज करते हुए वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। अपीलार्थी को पेंशन दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम वेतन पर सेवानिवृत्त किया गया है तथा उन्हें कम पेंशन मिल रही है। यही विवाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.07.2023 को समान निर्णय पारित किया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2021 से एक वार्षिक ग्रेड

वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावें एवं सेवानिवृत्ति लाभ को संशोधित किया जाए और उसका बकाया का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य